भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2202

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

विधिक सहायता सेवाओं में सुधार

2202. श्री कंवर सिंह तंवर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नागरिकों को समय और प्रभावी न्याय प्रदान करना सुनिश्रित करने के लिए विधिक सहायता सेवाओं, जिला न्यायालयों की अवसंरचना और न्याय अभिगम में सुधार लाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो जिले में उन्नत किए गए न्यायालयों, स्थापित विधिक सहायता केंद्रों और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन समाज के दुर्बल वर्गों**,** जिनमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 धारा 12 के अधीन आने वाले फायदाग्राही सम्मिलित हैं, को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है ।

नागरिकों को समय पर और प्रभावी न्याय परिदान सुनिश्चित करने के लिए**,** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा, उत्तर प्रदेश की अधीक्षण में 16 विधिक सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं । पैनल वकीलों और विधिक सहायता रक्षा सलाहकारों की सहायता से, वर्ष 2025-26 के दौरान (सितंबर**,** 2025 तक) 458 नागरिकों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई ।

*****